(5)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़(राज.)

बइजलास – श्री सन्तोष कुमार मीना (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या – 05/2020/प्रार्थना पत्र

उनवान

1. रामलाल पि. परथीसिंह जाति सोधिया नि. बाल्दा तहसील पिड़ावा
2. बद्रीसिंह पि. परथीसिंह जाति सोधिया नि. बाल्दा तहसील पिड़ावा
3. मेहरबानसिंह पि. हरीसिंह जाति सोधिया नि. बाल्दा तहसील पिड़ावा
4. विनोदसिंह पि. हरीसिंह जाति सोधिया नि. बाल्दा तहसील पिंड़ावा
5. तेजाबाई पुत्री हरीसिंह जाति सोधिया नि. बाल्दा तहसील पिड़ावा
6. कृष्णाबाई पुत्री हरीसिंह जाति सोधिया नि. बाल्दा तहसील पिड़ावा
7. जनसबाई पुत्री हरीसिंह जाति सोधिया नि. बाल्दा तहसील पिड़ावा
8. मृतक – अर्जुनसिंह पि. राघूसिंह जाति सोधिया नि. बाल्दा तहसील पिड़ावा

8/1 तुलसाबाई पत्नि अर्जुनसिंह जाति सोधिया नि. बाल्दा तहसील पिड़ावा

8/2 राहुल नाबा.पि. अर्जुनसिंह नाबा.की संरक्षक माता तुलसाबाई नि. बाल्दा

8/3 विशाल नाबा.पि. अर्जुनसिंह नाबा.की संरक्षक माता तुलसाबाई नि. बाल्दा

8/4 माया नाबा.पि. अर्जुनसिंह नाबा.की संरक्षक माता तुलसाबाई नि. बाल्दा

9. कमलाबाई बेवा राघूसिंह जाति सोधिया नि. बाल्दा तहसील पिड़ावा
10. धापूबाई पि. राघूसिंह जाति सोधिया नि. बाल्दा तहसील पिड़ावा
11. लीलाबाई पि. राघूसिंह जाति सोधिया नि. बाल्दा तहसील पिड़ावा
12. मुन्नाबाई पि. राघूसिंह जाति सोधिया नि. बाल्दा तहसील पिड़ावा
13. धर्मकुंवर पि. राघूसिंह जाति सोधिया नि. बाल्दा तहसील पिड़ावा
14. रामकुंवर पि. राघूसिंह जाति सोधिया नि. बाल्दा तहसील पिड़ावा

– प्रार्थीगण

बनाम

1. नाहरसिंह पि. मांगीलाल जाति सोधिया नि. बाल्दा तहसील पिड़ावा
2. सुल्तानसिंह पि. मांगीलाल जाति सोधिया नि. बाल्दा तहसील पिड़ावा
3. जगदीशसिंह पि. नाहरसिंह जाति सोधिया नि. बाल्दा तहसील पिड़ावा
4. पूजाबाई पत्नि जगदीशसिंह जाति सोधिया नि. बाल्दा तहसील पिड़ावा
5. प्रतापसिंह पि. नारायणसिंह जाति सोधिया नि. बाल्दा तहसील पिड़ावा

Signature Not Verified
Digitally signed by Santosh Kumar Meena
Date: 2022.10.04 11:03:38 IST
Reason: SelfAttested

COURT 2022

सन्तोष कुमार मीना,
उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

6

6. शीला जैन पत्नि जसवंतसिंह जैन जाति जैन नि.पिडावा तहसील पिडावा
7. गोराबाई पत्नि दाउदयाल दम्मानी जाति महाजन नि. पिडावा तहसील पिडावा
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पिडावा तहसील पिडावा

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति — वकील प्रार्थी — श्री नीलकमल त्रिवेदी

वकील अप्रार्थीगण — श्री पूरीलाल राठौर , श्री विनोद शर्मा श्री पूरीलाल राठौर , श्री शेलेन्द्रसिंह जैन , श्री सुभाष दांगी , श्री अहमद उल्ला खान

आदेश **दिनांक :** 01/09/2022

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की ओर से धारा 212 रा.टी.एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र पेश निवेदन किया कि ग्राम पिड़ावा तहसील पिड़ावा जिला झालावाड़ राज0 की जमाबंदी सं. 2070—73 के खाता सं. 250 की आराजी किता 3 रकबा 9 बीघा 17 बिस्वा भूमि वर्तमान में अप्रार्थीगण के खाते दर्ज है जो कि वादग्रस्त है। उक्त वादग्रस्त आराजी को प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण 1 व 2 के पिता शामिल में रहते थे तब सम्पूर्ण सम्पत्ति एक ही थी और अविभाजित संयुक्त परिवार था उस समय अप्रार्थीगण 1 व 2 के पिता के नाम से दिनांक 05.07.1993 को खरीद की थी। उस समय उक्त विवादित आराजी को खरीद करने में जो राशि लगी थी वह संयुक्त परिवार की आमदनी में से थी। अप्रार्थी सं. 1 व 2 के पिता श्री मांगीलाल व रामलाल ,बद्रीसिंह , हरीसिंह , राघूसिंह पांच भाई थे एवं पांचो भाई ग्राम बाल्दा में संयुक्त परिवार में रहते थे। परिवार के मुखिया मांगीलालजी थे जो कि सबसे बडे भाई थे परिवार की समस्त आय व खर्च का विवरण उनके पास रहता था एवं सम्पत्ति का खरीद व बेचान उनके द्वारा ही किया जाता था। उक्त वादग्रस्त आराजी को भी संयुक्त परिवार की आय से खरीद किया जो मांगीलाल पि. परथीसिंह के नाम से बयनामा तस्दीक करवाया गया परन्तु उक्त आराजी में पांचों भाईयों का हित निहित है। जब तक मांगीलालजी जिंदा थे तब तक किसी भी सम्पत्ति में कोई विवाद नहीं हुआ परन्तु मांगीलालजी की मृत्यु के बाद फोती नामान्तरण से अप्रार्थी सं. 1 व 2 का नाम दर्ज हुआ तो वे वादग्रस्त आराजी को खुद काश्त करने लग गये। अप्राथी सं. 1 व 2 ने प्रार्थीगण की बिना जानकारी के आपस में बंटवारा करा लिया एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Santosh Kumar Meena
Date: 2022.10.04 11:03:38 IST
Reason: SelfAttested

COURT 2022

(सन्तोष कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

(7)

अप्रार्थीगण सं. 3 व 4 को हस्तांतरण कर दी। अप्रार्थी सं. 2 ने अपने हिस्से में से कुछ हिस्सा अप्रार्थी सं. 5, 6, 7 को बेचान कर दिया जबकि इस वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी सं. 1 का 1/5 हिस्सा, प्रार्थी सं. 2 का 1/5 हिस्सा, प्रार्थी सं. 3 लगायत 7 का 1/5 हिस्सा, प्रार्थी सं. 8 लगायत 14 का 1/5 हिस्सा व अप्रार्थी सं. 1 लगायत 2 का 1/5 हिस्सा ही निहित था। प्रार्थी का प्रथम दृष्टया केस है क्योंकि वादग्रस्त आराजी संयुक्त हिन्दू परिवार की खरीदशुदा आराजी है। सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है क्योंकि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण का हक निहित है। अपूरनीय क्षति की संभावना भी प्रार्थीगण की है क्योंकि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के हक को समाप्त कर दिया जाता है तो प्रार्थीगण को अपरिमित क्षति होगी।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे मूल वाद के निस्तारण होने तक ग्राम पिड़ावा की जमाबंदी सं. 2070–73 के खाता सं. 250 की आराजी किता 3 रकबा 9 बीघा 17 बिस्वा भूमि को रहन बेचान व हस्तानान्तरण नहीं करे एवं किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करे। प्रार्थना पत्र के साथ ग्राम पिडावा की जमाबंदी सं. 2070–73 के खाता सं. 250 की प्रति व बयनामा दि. 05.07.1993 की छायाप्रति प्रस्तुत की।

अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब करने पर अप्रार्थी सं. 1 की ओर से एडवोकेट श्री अहमद उल्ला खान, अप्रार्थी सं. 2 लगायत 4 की ओर से एडवोकेट श्री विनोद शर्मा, अप्रार्थी सं. 6 की ओर से एडवोकेट श्री शेलेन्द्रसिंह जैन, अप्रार्थी सं. 5, 7 की ओर से एडवोकेट श्री सुभाष दांगी ने वकालातनामा प्रस्तुत किया।

अप्रार्थी सं. 2, 3, 4 की ओर से जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को अस्वीकार कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण किसी प्रकार का स्वत्व का प्रमाण पत्र नहीं है एवं न ही किसी भी प्रकार की दस्तावेजी साक्ष्य है व न ही किसी प्रकार से कोई कब्जा ही प्रमाणित है। इस कारण प्रार्थीगण धारा 88, 188 के तहत वाद लाने के अधिकारी नहीं है। प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया प्रकरण नहीं है। जबतक कब्जे व हक के संबंध में कोई साक्ष्य प्रमाणित नहीं हो तब तक सुविधा का संतुलन नहीं हो सकता है एवं न ही अपरिमित क्षति की संभावना प्रार्थीगण की है। इसलिये प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

अप्रार्थी सं. 5 व 7 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विशेष आपत्तियों में निवेदन किया कि अप्रार्थी सं. 5 व 7 ने अप्रार्थी सं. 2 खातेदार कब्जाधारी से

Signature Not Verified
Digitally signed by Santosh Kumar Meena
Date: 2022.10.04 11:03:38 IST
Reason: SelfAttested

COURT 2022

(सन्तोष कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

रजिस्टर्ड बयनामें से उनके हिस्से व कब्जे की आराजी ख.नं. 54 में से एक एक बिस्वा भूमि उत्तर दिशा की भवानीमण्डी पिडावा से लगी हुई वैधानिक रूप से क्रय की है। रजिस्टर्ड बयनामें को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार सिविल न्यायालय को है जिससे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारीज योग्य है। अप्रार्थी सं. 5 व 7 खातेदार टीनेन्ट कब्जेधारी के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र कानूनन चलने योग्य नहीं है। प्रार्थीगण खातेदार टीनेन्ट नहीं है जिससे प्रार्थना पत्र खारीज योग्य है। प्रथम दृष्टया प्रकरण , सुविधा का संतुलन अप्रार्थी सं. 5 व 7 के पक्ष में है तथा अपूरनीय क्षति की संभावना भी अप्रार्थी सं. 5 व 7 को है जिससे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे।

अप्रार्थी सं. 6 की ओर से भी इसी प्रकार का जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारीज करने का निवेदन किया।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। अभिभाषकगण द्वारा अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक नजीरे पेश की गई जिनका एवं पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया तथा विद्वान अभिभाषकगण द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में यह पाया कि ग्राम पिडावा की वादग्रस्त आराजी अप्रार्थीगण के खाते में दर्ज रिकार्ड है। उक्त वादग्रस्त आराजी को अप्रार्थी सं. 1 व 2 के पिता मांगीलालजी पि. परथीलालजी द्वारा दिनांक 05.07.1993 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीद की थी जिनकी मृत्यु के उपरांत दर्ज किये गये फोती नामान्तरण से अप्रार्थी सं. 1 व 2 का नाम दर्ज रिकार्ड हुआ। उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है। प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया केस नहीं है एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से अपूरनीय क्षति की संभावना अप्रार्थीगण को है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का खारीज किया किया जाता है।

निर्णय आज मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल दावे के साथ संलग्न हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Santosh Kumar Meena
Date: 2022.10.04 11:03:38 IST
Reason: SelfAttested

(सन्तोष कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ (राज.)

COURT 2022

Scanned with OKEN Scanner